

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संबुद्ध सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखनक : दिनांक: 13 जून 2005

विषय:- दशमो पब्लिक स्कूल माछेड़ा बाबा, विलासपुर, जिला-रामपुर को सी०बी०एस०ई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेलावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/वैदिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफिकेट बोर्ड मिशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भावीय.

। शिव प्रकाश गुप्त।
संयुक्त सचिव।

पूरा एवं दिनांक तद्वि

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मध्यम तंत्र शिक्षा निदेशक, मुद्रादावाट,
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर,
- 4- निरीक्षक, अंगत भारतीय विद्यालय, उ०पु०, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबंधक, दामोदा पब्लिक स्कूल, माटोड़ा, बाबा विनायकपुर, जिला-रामपुर।
- 6 - गाई बुक।

आज्ञा से,

। शिव प्रकाश गुप्त।
संयुक्त सचिव।

d